1-06-2020

Dr. Purnima Singh
Department of Political Science

B.A part II paper III Indian Government and politics. Topic - Constitution-4
Lecture - 49

Constitution - 4 भारतीय संविधान के आधारभूत तत्व

7. स्वतन्त्र और निष्पक्ष निर्वाचन (Free and fair elections) - भारत के संविधान में स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक चुनाव आयोग की व्यवस्था की गयी है। स्वतन्त्र भारत में लोकसभा के 17 बार चुनाव हो चुके हैं। सन् 2004 में 14 वीं लोक सभा के चुनाव में 67 करोड़ 50 लाख मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था। स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव के बिना सच्चे लोकतन्त्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव को संविधान का आधारभूत सिद्धान्त माना गया है।

8. पंथनिरपेक्षता (Secularism) - भारत को संविधान के 42वें संशोधन द्वारा पंथनिरपेक्ष घोषित किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार दिया गया है। भारत सर्वपंथ समभाव की नीति पर चलता रहा है। इसलिए भारत के मूल संविधान के प्रारूप में पंथनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग न होते हुए भी वह धर्मनिरपेक्ष राज्य था। इतना ही नहीं एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मुकदमे में अपना निर्णय घोषित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि पंथनिरपेक्षता संविधान का आधारभूत तत्व है।

9. न्यायपालिका की स्वतन्त्रता (Independence of judiciary)

भारतीय संविधान में न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतन्त्र बनाए रखने के प्रयास किए गए हैं। न्यायपालिका को स्वतन्त्र रखने के लिए जजों की नियुक्ति, वेतन और कार्यकाल संविधान में निश्चित किए गए हैं। 'गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार', 'मेनका गांधी बनाम भारत सरकार', 'मिनर्वा मिल बनाम भारत सरकार' के निर्णय करके सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतन्त्रता और उसके आधारभूत या सम्मत स्वरूप की पुनः पुष्टि कर दी है।

10. मूल अधिकार (Fundamental Rights)

मौलिक अधिकार संविधान की आत्मा और कुंजी है। मौलिक अधिकारों द्वारा राज्य पर कुछ प्रतिबन्ध लगाकर विधि का शासन स्थापित करने का प्रयास किया गया है। मूल अधिकारों का प्रारम्भ 18 वीं शताब्दी के अन्त में अमेरिका और फ्रांस से माना जाता है। सन् 1776 में अमेरिका की स्वतन्त्रता की घोषणा होने के पहले उस पर ब्रिटेन का शासन था और उसने अमेरिकी जनता पर बहुत अत्याचार किए थे। लेकिन अमेरिकी जनता कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। उन्होंने 2 वर्ष के भीतर अपने देश के संविधान में 10 संशोधन किए। इन संशोधनों के द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई। इन संवैधानिक संशोधनों को 'अधिकारपत्र' (Bill of Rights) कहते हैं। इसी तरह 1789 में फ्रांस की सफल क्रान्ति के बाद 'मानव अधिकारों की घोषणा' करके मूल अधिकारों की व्यवस्था की। इन मूल अधिकारों को अमेरिका और फ्रांस में वहाँ की सरकारें छीन नहीं सकती थीं, इसलिए इन्हें मूल

अधिकार कहा गया है। भारत में भी ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों पर बहुत अधिक अत्याचार हुए थे। यही कारण है कि जब सन् 1927-28 में साइमन आयोग (Simon Commission) भारत आया तब उससे भारतवासियों ने मूल अधिकार दिए जाने की मांग की थी। विदेशी शासन ने भारतवासियों की उस उचित और न्यायसंगत मांग को मंजूर नहीं किया। आजादी के बाद संविधान सभा में भाग III में अनुच्छेद 12 से 32 तक मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की है। ये मौलिक अधिकार न्यायसंगत है। केशवानन्द भारती मुकदमें में मौलिक अधिकारों को संविधान का मौलिक सिद्धान्त स्वीकार किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि "संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, जो संविधान के मौलिक ढांचे को नष्ट करता हो। मौलिक अधिकारों को संविधान का मौलिक ढांचा बताया गया है।"

11. संविधान संशोधन संबंधी संसद की सीमित शक्ति : (Limited powers of parliament to Amend Constitution)

भारतीय संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन संसद की यह शक्ति सीमित है। शासक दल ने संसद को संविधान में संशोधन करने के लिए एक यन्त्र के रूप में प्रयोग किया है। 42वां संवैधानिक संशोधन इसका एक प्रमुख उदाहरण है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संशोधन करने की शक्ति पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णयों में समय-समय पर परिवर्तन किया है। शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानन्द भारती और मिनर्वा मिल्स के संबंधित मुकदमों में समय-समय पर जो न्यायिक निर्णय दिए गए हैं, वे भी एक

समान नहीं है। लेकिन सन् 1980 से उच्चतम न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स केस में जो न्यायिक निर्णय दिया है, अभी तक कोई परिवर्तन न होने से संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त नहीं है। निम्नलिखित दिए गए प्रावधानों से स्पष्ट है कि संसद की संशोधन सम्बन्धी शक्तियाँ सीमित हैं— (क) संसद संविधान के आधारभूत ढाँचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, (ख) संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसका पालन किया जाना आवश्यक है। इस प्रक्रिया का पालन न करने से संवैधानिक संशोधन अवैध घोषित कर दिया जाएगा। (ग) संसद को संविधान में संशोधन करने से सम्बन्धित अनुच्छेद 368 में संशोधन करके अपनी शक्ति बढ़ाने का अधिकार नहीं है।

12. न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति (power of judicial review)— न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति भी भारतीय संविधान का मूल आधार है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति अमेरिकी संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अर्थ है जो विधि या कानून संविधान से मेल नहीं खाता हो। न्यायपालिका उसे अवैध या गैर-कानूनी घोषित कर सकती है। भारतीय संविधान सभा ने न्यायिक पुनर्निरीक्षण के इस सिद्धान्त को संविधान के अनुच्छेद 13 के द्वारा मूल अधिकारों का एक अंग बनाया और उच्चतम न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्रदान की। सर्वोच्च न्यायालय इस शक्ति के तहत पाँच प्रकार के आदेश जारी कर सकता है।